-1-

89

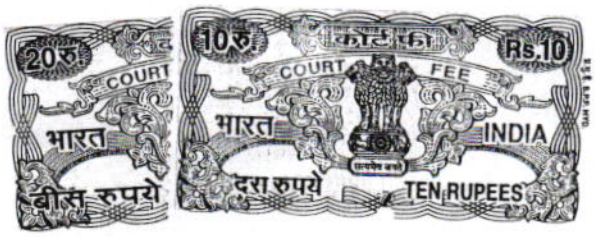

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

नि -2960-I-16

1. कुलदीपसिंह तनय स्व. श्याम कुमार सिंह
   निवासी कलेक्टर बंगला के पीछे, छतरपुर
2. सीताराम तनय मनमोहन मिश्रा
   निवासी बजरंग वार्ड नम्बर 33, छतरपुर
3. गनेश चतुर्वेदी तनय शारदा प्रसाद चतुर्वेदी
   निवासी बजरंग वार्ड नम्बर 33, छतरपुर
4. अवतारसिंह चिमनी तनय करतारसिंह
   निवासी कलेक्टर बंगला के पीछे, छतरपुर
5. कमलेश पिपरसानिया तनय शंकरलाल पिपरसानिया
   निवासी वार्ड नंबर 22 छतरपुर ....निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 611/बी–121//2008–09 में पारित आदेश दिनांक 30/07/16 व 7/10/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सरानी स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1625 रकवा 2.055 हे भूमि आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से शीतलप्रसाद सोनी तनय शम्भूदयाल सोनी से क्रय कर मालकाना हक व कब्जा प्राप्त किया था तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर आवेदकगण का नामांतरण भी वादग्रस्त भूमि पर स्वीकृत किया गया था, परंतु कलेक्टर छतरपुर द्वारा मात्र एक शिकायती आवेदन पत्र के आधार बिना किसी क्षेत्राधिकार के अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा पारित आदेश का स्वमेव निगरानी में पंजीबद्व कर विधि विपरीत आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त सागर के समक्ष

जितेन्द्र सिंघई
एड०
94251-71223

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2960/F/16 जिला .....छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-9-16	1– आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित तथा अनावेदक शासन पक्ष से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के तर्क सुने। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म0प्र0 के प्र.क्र. 611/बी–121/वर्ष 08–09 में पारित आदेश दिनांक 30/7/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक द्वारा तर्क में कहा गया कि राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 3775/दो/15 में पारित आदेश दिनांक 2/12/15 के द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर को प्रकरण तीन माह केवल एक बिन्दु पर निराकरण किए जाने हेतु प्रत्यावर्तित किए जाने पर अपर आयुक्त सागर द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही व आदेश पारित किया गया है। 3– आवेदक का तर्क है कि ग्राम सरानी स्थित भूमि खंसरा क्र 1625 रकवा 2.055 हे भूमि आवेदकगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21/12/2008 के माध्यम से क्रय कर मालकाना हक व हिस्सा प्राप्त किया था तथा राजस्व अभिलेख में उक्त विक्रय पत्र के आधार पर आवेदकगण का नामांतरण स्वीकृत किया गया था, परंतु एक झूठे शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर कलेक्टर छतरपुर द्वारा क्षेत्राधिकारिता एंव विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रकरण को स्वप्रेरणा निगरानी में पंजीबद्व कर विधि विपरीत आदेश पारित किया गया जिसकी प्रथम निगरानी अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त सागर द्वारा निगरानी निरस्त की गयी जिसके विरूद्व आवेदकगण द्वारा द्वितीय निगरानी राजस्व मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे राजस्व मंडल द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अपर आयुक्त सागर को प्रत्यावर्तित	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	किया गया था जिसमें अपर आयुक्त सागर द्वारा विधि विरूद्व आदेश पारित किया गया है जिस कारण से यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 4– आवेदक का तर्क है कि संहिता के लागू होने के पूर्व से प्रश्नाधीन भूमि देवी अहीर कें नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज रही तथा उसके उपरांत उसके पुत्र हल्काई के नाम पर दर्ज रही है किन्तु इसके उपरांत बिना किसी आधार के हल्काई की जानकारी के बिना शासकीय दर्ज की गयी जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर हल्काई द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25/2/2006 को स्वीकार करते हुए प्रश्नाधीन भूमि को पुनः हल्काई के नाम पर दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया। तथा हल्काई द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय दिनांक 30/5/2006 को एक अन्य व्यक्ति शीतलप्रसाद तनय शंभूदयाल सोनी को किया गया तथा राजस्व अभिलेख में शीतलप्रसाद का नामांतरण भी स्वीकृत किया गया है। शीतलप्रसाद द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय पंजीकृत विक्रय पत्र से आवेदकगण को किया गया है तथा आवेदकगण का नामांतरण भी स्वीकृत किया जा चुका है। 5– आवेदकगण द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर का आदेश एक अपीलीय आदेश था जिस कारण से कलेक्टर छतरपुर को मात्र एक शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण को स्वप्रेरणा निगरानी के अंतर्गत पंजीबद्व कर आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। उनका यह भी तर्क है कि स्वप्रेरणा की शक्तियों का प्रयोग समय सीमा के अंदर किया जाना चाहिए परंतु कलेक्टर छतरपुर द्वारा अत्याधिक लंबी समय अवधि पश्चात् स्वप्रेरणा की शक्तियों का प्रयोग किया गया जो विधिक प्रावधान अनुसार नहीं है। उनके द्वारा तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त सागर के समक्ष राजस्व मंडल द्वारा मात्र एक बिन्दु की जांच हेतु प्रत्यावर्तित किया गया था, परंतु अपर आयुक्त द्वारा राजस्व	

R-2960-II/16 (8 तक)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	मंडल के आदेश का पूर्ण पालन ना करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है। 6— आवेदकगण का तर्क है कि पंजीकृत विक्रय पत्र जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं किया जाता तब तक राजस्व न्यायालय पंजीकृत विलेख के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु बाध्य है जैसा कि 1984 रा.नि. पेज 5 एंव 2011 रा.नि.पेज 193 मान्य किया गया है। उपरोक्त आधारों पर यह निगरानी उनके द्वारा स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है। 7— उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों एंव आदेशों का अवलोकन किया। प्रकरण में अपर आयुक्त सागर की आदेश पत्रिका दिनांक 4/4/15 के अवलोकन से यह पाया गया कि अपर आयुक्त सागर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु संहिता के लागू होने के पूर्व से आज दिनांक तक की स्थिति के संबध में प्रतिवेदन चाहा गया था जिसके आधार पर तहसीलदार छतरपुर के माध्यम से हल्का पटवारी का प्रतिवेदन दिनांक 16/5/16 प्राप्त किया गया जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि संहिता के लागू होने के पूर्व देवी अहीर के नाम पर दर्ज थी तथा उक्त तथ्य का पुष्टिकरण खसरा खतौनी के अवलोकन से भी होता है जिस कारण से संहिता की धारा 190 के प्रावधान प्रश्नाधीन भूमि पर लागू होते है। अपर आयुक्त सागर के समक्ष राजस्व मंडल द्वारा प्रकरण का निराकरण केवल एक बिन्दु पर तीन माह की अवधि में किए जाने हेतु आदेशित किया गया था परंतु अपर आयुक्त सागर द्वारा राजस्व मंडल के आदेश का पूर्ण पालन नहीं किया गया है। कलेक्टर छतरपुर के आदेश पत्रिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा शिकायती आवेदन पत्र एंव जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण स्वप्रेरणा निगरानी में पंजीबद्व किया गया था जबकि अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा पारित आदेश एक अपीलीय आदेश था जैसा कि 1987 आर.एन.पेज 281 में मान्य किया गया है। कलेक्टर छतरपुर के आदेश दिनांक 25/4/09 के अवलोकन से पाया गया है कि उनके द्वारा संपूर्ण	

R-2960-I/16(छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विवेचना कर विस्तृत आदेश नहीं किया गया जिस कारण उनका आदेश एक बोलता हुआ आदेश नहीं है। कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण को स्वप्रेरणा निगरानी में लिया गया है राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्व म.प्र.राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथाएक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजाचन्द्र बनामयुनियन ऑफ इंडियाएस.एस.सी.44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के.गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि म.प्र.राज्य तथा अन्य रे.नि. 2013 पृष्ठ 8 में भी 180 दिन के बाहर ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है प्रतिपादित किया है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 8— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 30/7/16 एंव 7/10/15 तथा कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/04/2009 निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर का आदेश 25/2/06 एंव अतिरिक्त तहसीलदार छतरपुर का आदेश दिनांक 10/3/06 यथावत् रखा जाता है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदकगण का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	